

#1236



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदम सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - खामोहन)

धरा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 259 682 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.म.	नाम-ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	14	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी          लखीबार्द पुत्र गोपी जाट          न.सं. देह          रहण खेड़ा राजस्थान          वृत्तीय नगरीण बैंक लाखा          खामोहन</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी          लखीबार्द पुत्र गोपी जाट          न.सं. देह          रहण राजस्थान खामोहन          खड          शाखा खामोहन          63.10.25          तहसीलदार कपासन          जिला-चितौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अन्सार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खामोहन</u> का <u>बड़ौदा</u> नुरविधा खुद खातासं <u>14</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

हस्ताक्षर कलक्टर

हस्ताक्षर पदम सहायक कलक्टर

हस्ताक्षर व गोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

कपासन जिला-चितौड़गढ़